न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 159/2022 दायर दिनांकः 05.12.2022

उनवान

1. रमेशचन्द्र आयु 65 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया
2. कैलाशचन्द आयु 63 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया
3. अशोक कुमार आयु 61 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया
4. बृजमोहन आयु 57 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया
5. नवलकिशोर आयु 55 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया
6. विमल कुमार आयु 51 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट

व धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

निर्णय दिनाकः 06.11.2025

वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट व 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 14 की ख0नं0 247 रकबा 3.63 है०, ख0नं0 266 रकबा 0.73 है०, ख0नं0 267 रकबा 0.93 है० कुल किता 3 रकबा 5.29 है० आराजी वादीगण के पिता अमरलाल पुत्र रामगोपाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया के हिस्सा 1/9 + 1/3 =4/9 शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही हैं तथा खाता संख्या 15 की ख0नं0 335 रकबा 3.69 है० कुल किता 1 रकबा 3.69 है० आराजी वादीगण के पिता अमरलाल पुत्र रामगोपाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया के हिस्सा 1/2 शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त मे दर्ज चली आ रही है। नकल

जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित में वादीगण के पिता का गलत नाम अमरलाल पुत्र रामगोपाल दर्ज हो रहा हैं जबकि वादीगण के पिता सही नाम अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल हैं। वादीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 28.09.2021 को हो गया हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे वादीगण के पिता का गलत नाम दर्ज होने की वजह से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे फोती इन्तकाल नही खुला पा रहे हैं। जिसके कारण वादीगण को सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभो से वंचित होना पड रहा हैं। वादीगण के पिता का नाम सभी दस्तावेजो, आधार कार्ड, व माल गन्दोलिया की आराजी खाता संख्या 6 मे अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल ही दर्ज हैं। बिना सहायता न्यायालय वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में अपने पिता का नाम अमरलाल पुत्र रामगोपाल के स्थान पर सही अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल दुरूस्त नही करवाया जा सकता है और नही फोती इन्तकाल खोला जा सकता हैं। इस वजह से वादीगण अपने पिता का नाम अमरलाल पुत्र रामगोपाल के स्थान पर सही अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल करवाकर खातेदार कृषक घोषित करवाने के अधिकारी हैं। राजस्थान सरकार प्रतिवादी भूमि धारक होने एवं वाद नाम दुरूस्ती का होने की वजह से आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। जिसको धारा 80 सी०पी०सी० का मियादी 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस नही दिया गया हैं। वाद कारण वादीगण द्वारा प्रतिवादी से कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन करने के बावजूद भी दिनांक 05.04.2021 को वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी पर वादीगण के पिता व पति नाम दुरूस्त आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित नही करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं।

अतः वादीगण वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीग के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा सादिर फरमाई जावे कि :—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे वादीगण के पिता का नाम अमरलाल पुत्र रामगोपाल के स्थान पर अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल दुरूस्त करने व मृतक अमरलाल के स्थान

पर वादीगण को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण की प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 1 में खाता संख्या 14, 15 संलग्न जमाबन्दी की प्रति अनुसार खातेदार अमरलाल पुत्र रामगोपाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया ही दर्ज है। बिन्दु संख्या 2 के अनुसार अमरलाल के पिता का नाम गेन्दीलाल ही था लेकिन ग्रामवासियों से पूछताछ अनुसार बताया कि रामगोपाल के पुत्र नही था। पुत्रियां ही थी जिनके अमरलाल जी गोद गये थे इसलिए अमरलाल जी के रामगोपाल जी के नाम आयी भूमि में अमरलाल पुत्र रामगोपाल दर्ज है। बिन्दु संख्या 3 से बिन्दु संख्या 10 न्यायिक है।

साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र Pw1 रमेशचन्द पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां, Pw2 रामकल्याण पुत्र मंगला निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां, Pw3 लालचन्द पुत्र धूलीलाल निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां, Pw4 सूर्यप्रकाश पुत्र दानमल जाति अहीर निवासी दौलतपुरा तहसील बारां जिला बारां व Pw5 अशोक बाई पुत्री दानमल पत्नी कन्हैयालाल जाति अहीर निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां के शपथ पत्र पेश किए गए तथा उनके सशपथ बयान लेखबद्व किए गए।

अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 14 की ख.नं. 247 रकबा 3.63 हे0, ख. नं. 266 रकबा 0.73 हे०, ख.नं. 267 रकबा 0.93 हे० कुल किता 3 रकबा 5.29 हेक्टर आराजी तथा खाता संख्या 15 की ख.नं. 335 रकबा 3.69 हे० कुल किता 1 रकबा 3.69 हे० आराजी वादीगण के पिता अमरलाल पुत्र रामगोपाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी में वादीगण के पिता का गलत नाम अमरलाल पुत्र रामगोपाल दर्ज हो रहा है जबकि वादीगण के पिता का सही नाम अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 28/09/2021 को हो गया है। वादीगण के पिता का सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, माल गन्दोलिया की आराजी खाता संख्या 6 में सही नाम

अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल दर्ज है। इसलिए उपरोक्त आराजी में वादीगण के पिता का सही नाम अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल दर्ज किया जावे।

अभिभाषक वादीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम अटरू की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 14 के ख0नं0 247 रकबा 3.63 है0, ख0नं0 266 रकबा 0.73 है० व ख.नं. 267 रकबा 0.93 है० कुल किता 3 रकबा 5.29 है0 व ग्राम अटरू की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 15 के ख0नं0 335 रकबा 3.69 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 3.69 है0 आराजी में अमरलाल पुत्र रामगोपाल अन्य सहखातेदारों के साथ शामलाती खाते दर्ज है।

अन्य दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 04.10.2021 के अनुसार वादीगण के पिता का सही नाम अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल अंकित है। तहसीलदार अटरू द्वारा पेश जवाब के अनुसार अमरलाल के पिता का नाम गेन्दीलाल ही था लेकिन ग्रामवासियों से पूछताछ अनुसार बताया कि रामगोपाल के पुत्र नही था। पुत्रियां ही थी जिनके अमरलाल जी गोद गये थे इसलिए अमरलाल जी के रामगोपाल जी के नाम आयी भूमि में अमरलाल पुत्र रामगोपाल दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी के सहखातेदार वादीगण के पिता का सही नाम अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू के खाता संख्या 14 के ख0नं0 247 रकबा 3.63 है0, ख0नं0 266 रकबा 0.73 है० व ख.नं. 267 रकबा 0.93 है० कुल किता 3 रकबा 5.29 है0 व ग्राम ग्राम व माल अटरू तहसील अटरू के खाता संख्या 15 के ख0नं0 335 रकबा 3.69 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 3.69 है0 भूमि में सहखातेदार अमरलाल पुत्र रामगोपाल के स्थान पर अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल उर्फ रामगोपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार पीपलीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री सुनील कुमार पीपलीवाल (**R.A.S.**) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 159/2022 दायर दिनांकः 05.12.2022

उनवान

1. रमेशचन्द्र आयु 65 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया
2. कैलाशचन्द आयु 63 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया
3. अशोक कुमार आयु 61 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया
4. बृजमोहन आयु 57 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया
5. नवलकिशोर आयु 55 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया
6. विमल कुमार आयु 51 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति अहीर निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट

व धारा 136 एल0आर0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................
उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू के खाता संख्या 14 के ख0नं0 247 रकबा 3.63 है0, ख0नं0 266 रकबा 0.73 है० व ख.नं. 267 रकबा 0.93 है० कुल किता 3 रकबा 5.29 है0 व ग्राम ग्राम व माल अटरू तहसील अटरू के खाता संख्या 15 के ख0नं0 335 रकबा 3.69 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 3.69 है0 भूमि में सहखातेदार अमरलाल पुत्र रामगोपाल के स्थान पर अमरलाल पुत्र गेन्दीलाल उर्फ रामगोपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(सुनील कुमार पीपलीवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **06.11.2025** को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)